परिपत्र संख्या 08/2021

राजस्थान सरकार

कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग 'पंजीयन भवन' राज.अजमेर।

क्रमांकः– एफ–6 (1036) सी.ए.जी./2020–21/ डी.पी.–06/170–718 दिनांक 19/07/2021

परिपत्र

समस्त उपमहानिरीक्षक एवं जिला पंजीयक,
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान।

विषय :– सार्वजनिक कार्यालयों (पब्लिक ऑफिस) के भौतिक निरीक्षण साथ इनकी वेबसाइटों पर उपलब्ध जानकारी का भी उपयोग कर स्टाम्प शुल्क, अधिभार और पंजीकरण शुल्क की वसूली के संबंध में।

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम 1998 की धारा 37 की उप धारा(3) सपठित राजस्थान स्टाम्प नियम,2004 के नियम 64 उप नियम (1) में राज्य सरकार को ऐसे कार्यालयों को लोक कार्यालय घोषित करने का अधिकार है जहां पर संपत्ति संबंधी एवं अन्य दस्तावेज निष्पादित होते हैं अथवा प्रस्तुत होते हैं एवं जिन पर राजस्थान स्टाम्प अधिनियम 1998 की अनुसूची के अन्तर्गत स्टाम्प ड्यूटी देय होती है। राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना क्रमांक प.2(2)वित्त/कर–अनु/1997 दिनांक 16.12.1997 के द्वारा निम्नलिखित कार्यालयों को 'लोक कार्यालय' घोषित किया हुआ है।

1. केन्द्र एवं राज्य सरकार के समस्त कार्यालय,
2. केन्द्र एवं राज्य सरकार के समस्त निगम एवं स्वयत्तशासी संस्थाऐं,
3. नगर पालिका/नगर परिषद/नगर निगम/ नगर सुधार न्यास/ समस्त विकास प्राधिकरण/आवासन मण्डल के समस्त कार्यालय,एवं अन्य समस्त स्थानीय निकाय,
4. दीवानी एवं फौजदारी न्यायालय
5. समस्त पंजीकृत संस्थाओं एवं सहकारी संस्थाओं के कार्यालय,
6. समस्त निगमित एवं अनिगमित कम्पनीयों के कार्यालय,
7. नोटेरी पब्लिक एवं शपथ आयुक्त के कार्यालय,

राज. स्टाम्प अधिनियम 1998 की धारा 85 के तहत लोक कार्यालय के प्रभारी अधिकारी का दायित्व है कि वह पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग के अधिकृत अधिकारी द्वारा मांग किये जाने पर हस्तलिखित, टंकित रिकार्ड या इलेक्ट्रानिक रूप से संधारित रजिस्टर, पुस्तकों एवं अन्य सभी दस्तावेजों की मूल या प्रमाणित प्रतियॉ निशुल्क उपलब्ध कराये एवं निरीक्षण की मांग करने पर रिकार्ड का निरीक्षण कराये ।

राज वित्त अधिनियम 2018 के द्वारा राजस्थान स्टाम्प अधिनियम 1998 में नई धारा 10(ए) जोडकर ऐच्छिक रूप से पंजीयन योग्य दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी की अदायगी सुनिश्चित करने के प्रावधान किये गये हैं, जिसके अन्तर्गत ऐच्छिक रूप से पंजीयन योग्य दस्तावेजों पर देय स्टाम्प ड्यूटी ई–ग्रास के माध्यम से जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। इस हेतु प्रत्येक विभाग में नोडल अधिकारी के रूप में किसी अधिकारी को अधिकृत भी किया जायेगा।

उपरोक्त प्रावधानों से स्पष्ट है कि केन्द्रीय कार्यालय, राज्य सरकार के कार्यालय, बैंक, स्वायतशासन विभाग की संस्थाऐं, अर्द्धशासकीय संगठन जिसमें ऐच्छिक रूप से पंजीयन योग्य दस्तावेज प्रस्तुत होते हैं या निष्पादित होते हैं उन पर पंजीयन अधिनियम के तहत स्टाम्प ड्यूटी वसूल की जानी है।

इसके अलावा मुख्यालय के निरीक्षण अनुभाग द्वारा भी समय–समय पर इन लोक कार्यालय के प्रभावी निरीक्षण करने के लिए निर्देश जारी किये गए हैं, ताकि राज्य सरकार को राजस्व की हानि नहीं हो।

केंद्र और राज्य सरकार के निरंतर प्रयास के कारण इन सार्वजनिक कार्यालयों के रिकार्ड तेजी से डिजिटल प्रारूप में बनाए जा रहे हैं। वर्तमान परिदृश्य में सार्वजनिक कार्यालयों के अभिलेखों के डिजिटलीकरण में वृद्धि के साथ मुद्रांक अधिनियम के प्रावधानों के तहत राजस्व रिसाव को रोकने के लिए सार्वजनिक कार्यालयों के नियमित निरीक्षण सुनिश्चित करने के अलावा विभाग को आईटी सिस्टम का लाभ उठाते हुए, सार्वजनिक कार्यालयों की वेबसाइट पर उपलब्ध डिजिटल रिकॉर्ड में से विभाग से संबंधित जानकारी का पता लगाने का प्रयास किया जाना चाहिये। महालेखाकार द्वारा किये गये निरीक्षण प्रतिवेदनों में उन कार्यालयों के निरीक्षण / इलेक्ट्रानिक माध्यम से इन विभागों की आफिशियल वेब साईट पर जाकर अमुद्रांकित / अपंजीकृत दस्तावेजों को चिन्हित कर राजस्व अपवंचना के प्रकरण प्रकाश में लाये जाते हैं। जो बाद में सी.ए.जी. प्रतिवेदनों में सम्मिलित होते हैं।

महालेखाकार द्वारा रेरा (RERA) की वेबसाईट पर जाकर अमुद्रांकित कब्जे सहित/ कब्जे रहित इकरारनामा, विकास अनुबंन्ध के दस्तावेज चिन्हित कर आक्षेप लिए गए हैं। इसी प्रकार रजिस्ट्रार आफ कम्पनीज, रजिस्ट्रार आफ फर्मस, सहकारी समितियों के कार्यालयों की जांच में भी भागीदारी विलेख एवं इकरारनामा के दस्तावेजों पर राजस्व अपवंचना होने के आक्षेप लिए गये है।

अतः विभागीय अधिकारियों यथा उपमहानिरीक्षक एवं उपपंजीयक को निदेर्शित किया जाता है कि वे समय–समय पर इन लोक कार्यालयों के भौतिक निरीक्षण के अतिरिक्त इन विभागों की वेब–साईट पर जाकर अमुद्रांकित / अपंजीकृत दस्तावेजों को चिन्हित कर देय स्टाम्प ड्यूटी वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित करें ।

Sd.

(महावीर प्रसाद)
महानिरीक्षक
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राज.अजमेर।

क्रमांकः– एफ–6 (1036) सी.ए.जी./2020–21/ डी.पी.–06/ 170-718 दिनांक 19/07/2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. **अतिरिक्त महानिरीक्षक (प्रशासन), पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, जयपुर, कमरा नम्बर 401 ब्लाक–डी वित्त भवन, जिला जयपुर।**
2. **अतिरिक्त महानिरीक्षक (प्रशासन), पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, मुख्यालय अजमेर।**
3. **समस्त उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान।**
4. **उप महानिरीक्षक, निरीक्षण शाखा मुख्यालय अजमेर।**
5. **समस्त उप पंजीयकगण, (पूर्णकालीन एवं पदेन) राजस्थान।**
6. **सयुक्त निदेशक (कम्प्यूटर), मुख्यालय, अजमेर को परिपत्र की प्रति, विभाग की वेबसाईट igrs@rajasthan.gov.in पर अपलोड कराने हेतु।**

19/7/21

(आनन्द आशुतोष)
वित्तीय सलाहकार(का.)
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राज.अजमेर।